

मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांक: 05.09.2022

थाना विन्ध्याचल अन्तर्गत अष्टभुजा पहाड़ी के नीचे हुई घटना का मुख्य आरोपी ₹ 50 हजार का ईनामिया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल बरामद—

दिनांक 14.08.2022 को थाना विन्ध्याचल अन्तर्गत अष्टभुजा पहाड़ी के नीचे हुई घटना के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 15.08.2022 को वादी धनजी पासवान पुत्र स्व० प्यारी पासवान निवासी ब्रह्मपुर थाना ब्रह्मपुर जनपद बक्सर, बिहार द्वारा लिखित तहरीर बावत अष्टभुजा पहाड़ी के नीचे मैदान में खाना बनाते समय हुए विवाद के दौरान कन्हैया प्रसाद की गोली मार दी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत मु०अ०सं०-147/2022 धारा 302,102बी,147,148,149,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्टसे सम्बन्धित 07 नफर अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि मुख्य आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु ₹ 50 हजार का ईनाम भी घोषित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फरार चल रहे मुख्य आरोपी ₹ 50 हजार के ईनामिया की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में टीम गठित कर क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल को निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक: 05.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल विनीत राय, प्रभारी एसओजी सत्येन्द्र कुमार यादव व स्वाट प्रभारी राजेश जी चौबे मय पुलिस टीम द्वारा फरार मुख्य आरोपी नन्दगोपाल पाण्डेय उर्फ फौजी पुत्र स्व० रामजी पाण्डेय निवासी जोगया थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास, बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ—

गिरफ्तार मुख्य आरोपी नन्दगोपाल पाण्डेय उर्फ फौजी ने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पहले विन्ध्याचल अपने अन्य साथियों के साथ आया था। हम सभी अष्टभुजा पहाड़ी के नीचे मैदान में खाना बना रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोगो से वाद-विवाद हो गया और मैं गुस्से में आकर अपने साथियों के सह पर एक व्यक्ति को गोली मार दिया था तथा गिरफ्तारी के डर से हम सभी मौके से फरार हो गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

नन्दगोपाल पाण्डेय उर्फ फौजी पुत्र स्व० रामजी पाण्डेय निवासी जोगया थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास, बिहार।

विवरण बरामदगी —

घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल .32 बोर।

पंजीकृत अभियोग—

मु०अ०सं०-147/2022 धारा 302,120बी,147,148,149,504,506 भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं०-157/88 धारा 392 भादवि थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास बिहार
- 2-मु०अ०सं०- 92/91 धारा 392 भादवि थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास बिहार
- 3-मु०अ०सं०- 108/2001 धारा 384 भादवि थाना सासाराम
- 4-मु०अ०सं०- 18/91 धारा 234/225/307/353 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट थाना सासाराम

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

- 1-प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल-विनीत राय मय टीम।
- 2-प्रभारी निरीक्षक एसओजी टीम-सत्येन्द्र कुमार यादव मय टीम।
- 3-प्रभारी स्वाट टीम- राजेश जी चौबे मय टीम।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 20 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

